



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व ₹ 24,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-174/2023 धारा-302/34,504,506,452,323/34 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी प्रथम/ गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर 02 अभियुक्तगण 1.कामता प्रजापति पुत्र रामगुलाम 2.सुशील प्रजापति उर्फ लल्लू भाई पुत्र कामता प्रजापति नि0गण सिमनौड़ी थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास व ₹24,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री महेश कुमार
द्विवेदी



विवेचक-
निरी0 रामआसरे सरोज



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
का0 जगत सिंह